भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2710

(दिनांक 07.08.2024 को उत्तर के लिए)

आरक्षित पदों पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति

2710. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न करने के लिए कोई कदम उठाया है या उठाने का विचार है;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री(डॉ.जितेन्द्र सिंह)

(क)से(ग) सरकार के अधीन रिक्त पदों को भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (जीएफआर 2017) के नियम 177 से 206 के अनुसार, भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों को मितव्ययिता और कार्यकुशलता के महत्व को देखते हुए बाह्य पेशेवरों, परामर्शी फर्मों या परामर्शदाताओं जैसी 'परामर्शी सेवाएं' अथवा वाहनों को किराए पर लेने, भवन सुविधा प्रबंधन, सुरक्षा, फोटो कॉपियर सेवा आदि की आउटसोर्सिंग करने जैसी 'गैर-परामर्शी सेवाएं' बाहर से किराए पर लेने की अनुमति प्रदान की गई है। इन प्रावधानों के अनुसरण में मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवश्यकता के अनुसार निजी एजेंसियों को ये सेवाएं आउटसोर्स की जाती हैं।
